देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर 452001
दूरभाष : 2523530

क्र. प्रशाः चार/चयन समिति/2025/291 दिनांक : 1 APR 2025

प्रति,
अध्यक्ष, शासी निकाय,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से संबंद्धता प्राप्त समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
इंदौर/धार/झाबुआ

विषय : सत्र 2025–26 हेतु समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में कोड–28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति बाबत्।

संदर्भ : आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 143/359/आउशि/संबद्धता/2024 दिनांक 28.03.2025।

आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल से प्राप्त उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठयक्रमों में निर्धारित सीट के अनुपात में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों की जानकारी आवश्यक रूप से तत्काल मांगी गई है।

अतः समस्त अशासकीय महाविद्यालय वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें एवं विश्वविद्यालय की मेल आई.डी. registrar.davv@dauniv.ac.in पर तत्काल प्रेषित करें।

कुलसचिव

क्र. प्रशाः चार/चयन समिति/2025/291 दिनांक : 1 APR 2025

प्रतिलिपिः

निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद, दे.अ.वि.वि. इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव(प्रशासन)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल
E-mail:- affil-he@mp.gov.in

क्रमांक 143 /359/आउशि/संबद्धता /2024 दिनांक 28 /03/2025

प्रति,

कुल सचिव,
समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

443
28/03/2025

विषय: सत्र 2025-26 हेतु समस्त अशासकीय महाविद्यालय में कोड-28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति बावत्।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 38/304/आउशि/संबद्धता/2024, दिनांक 13/01/2025।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत संचालित अशासकीय महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की जानकारी संलग्न प्रपत्रानुसार तीन दिवस में ई-मेल के माध्यम से **affil-he@mp.gov.in** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी प्रचलित मार्गदर्शिका की कंडिका 11 अनुसार अशासकीय महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/विषय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट के अनुपात में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय के परिनियम 27 के अनुसार अपेक्षित संख्या में परिनियम-28 (कॉलेज कोड-28) के तहत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ होना अनिवार्य है। कृपया जानकारी अतिशीघ्र प्रेषित करें।

I. संलग्न प्रपत्र

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ.क्रमांक 144 / 359/ आउशि/संबद्धता /2024 दिनांक 28/03/2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. संबंधित समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र.

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004
ई–मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष कमांक– 2554763

"email"

कमांक– 38 /304/आउशि/सम्बद्वता/2024. भोपाल, दिनांक– 13/01/2025.

प्रति,

1– कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
2– कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)।
3– कुल सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)।
4– कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
5– कुल सचिव, विकम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।
6– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।
7– कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)।
8– कुलसचिव, महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)।
9– कुल सचिव, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)।

विषयः–पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को जारी सम्बद्धता आदेश तथा कॉलेज कोड–28 के अन्तर्गत पदस्थ शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

––00––

प्रदेश में पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को सत्र 2025–26 के लिये निरन्तरता के पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

2. अतः आपके विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार से संबंधित अशासकीय महाविद्यालयों की निम्नांकित जानकारी/अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

(1) पूर्व से संचालित समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को सत्र 2024–25 के लिये जारी सम्बद्धता आदेश की प्रति.

(2) पूर्व से संचालित समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में कॉलेज कोड–28 के अन्तर्गत तथा वर्तमान में पदस्थ समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी संलग्न निर्धारित प्रपत्रानुसार।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

13.01.25
(डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ.कमांक– 39 /304/आउशि/सम्बद्वता/2024. भोपाल, दिनांक– 13/01/2025.

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, माननीय् मंत्री जी, उच्च शिक्षा, भोपाल (म.प्र.)।
2– निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3– निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)।
4– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल–नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल(म०प्र०)।
5– संबंधित अधिकारीगण (आदेश दिनांक 02/01/2025 द्वारा गठित परीक्षण समिति)।

––की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13.01.25

// संशोधित प्रपत्र //

अशासकीय महाविद्यालय के स्टॉफ से संबंधित जानकारी

महाविद्यालय का नाम.................................

क्र.				प्राचार्य का नाम	संकाय का नाम	विषयवार पदस्थ अधिकारी	शिक्षकीय / गैर शिक्षकीय	शैक्षणिक अर्हता	विश्वविद्यालय	कोड–28 के अन्तर्गत है अथवा नहीं। यदि हॉ तो अधिसूचना संलग्न करें।	आधार नं.	मोबाईल नं.	[illegible]
	प्राचार्य												
	नियुक्त शिक्षक	संचालित विषय एवं स्तर स्नातक / स्नातकोत्तर	विषय										
	क्रीड़ाअधिकारी												
	ग्रन्थपाल												
	मुख्यलिपिक												
	लेखापाल												
	निम्न श्रेणी लिपिक												
	प्रयोगशाला तकनीशियन												
	प्रयोगशाला परिचारक												
	भृत्य												
	सफाई कर्मचारी												
	चौकीदार												
01	02			03	04	05	06	07	08	09	10	11	1

हस्ताक्षर

समिति के अध्यक्ष / सचिव